



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239285
CG-DL-E-01102022-239285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4440]
No. 4440]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4648(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, संख्यांक का.आ. 83(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्र. सं. 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अधिकारी/अभिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
"65	राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य-सचिव	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29)"।

[फा. सं. आईए 3-12/2/2022-आईए. III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक 83 (अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक सा.का.नि. 585 (अ) तारीख 1 सितंबर, 2006 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 4648(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O.83(E), dated the 16th February, 1987, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No. 64 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S.No	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
“65	Chairman, Member Secretary of all the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities	The Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)”. [F. No. IA3-12/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O.83(E) dated 16th February, 1987 and last amended on vide number G.S.R.585(E) dated 1st September, 2006.